उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-27/2018/322/92-2-2018-45जॉच/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 09 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती द्वारा एकीकृत विकास योजना तथा पूर्वान्चल विकास निधि जिलांश योजनान्तर्गत कतिपय निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक, (तकनीकी सम्प्रीक्षा प्रकोष्ठ) की जांच के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 47,314.00 हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री टी0एन0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुए जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-27/2018/322(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 के पत्र संख्या-जी-68/पीए-सी0टी0ई0/2762-120/12/2016-17 दिनांक 22.11.17 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या की प्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री टी0एन0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर ।

3- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती।

4- श्री टी0एन0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, प्रखण्ड-बस्ती द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in